न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. पन्नालाल पिता श्री ऊंकार डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मोड़ी बाई पत्नी पन्नालाल डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लोगर पिता श्री कूका डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. कूकाराम पिता श्री माना डांगी, निवासी कानुपर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. अभयसिंह पिता श्री धनसिंह राठौड़, निवासी 6, कुम्भानगर, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
4. दीपक पिता श्री भैरूलाल जो''ाी, निवासी 102, अ''ाान्त अपार्टमेन्ट, रूपसागर रोड़, के''ावनगर, उदयपुर (राज.)
5. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 14.02.2017, प्र. सं. 94/16

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री भाान्तिलाल पामेचा अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

3. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 6

–––:::–––

निर्णय दिनांक

16–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कानपुर में आराजी नंबर 802 रकबा 2.1500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा अर्थात 1.6125 हैक्टर है, जिस पर वादीगण ने बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। उक्त भूमि वादीगण ने पूर्व खातेदारी एवं हितधारी कालू व नन्दा से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02–06–2004 से कय की है। अतः वादीगण को वादवर्णित भूमि का खातेदार घोशित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदे"ा 7 नियम 11 जा.दी. का एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की माता ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निश्पादित की है। उक्त वसीयत को निरस्त कराने का वाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जिला न्यायाधी"ा उदयपुर के समक्ष कर रखी है, जिसके विचारण के दौरान वादीगण द्वारा भूमियां कय की गयी हैं। वादीगण ने इसी जमीन बाबत पूर्व में भी अन्य भूमियों को भाामिल करते हुए वाद पे"ा किया था, जिससे वाद बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वादीगण द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 14–02–2017 से प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 जा.दो. स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 14–02–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 औपचारिक

पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। भाश रेस्पोन्डेन्टगण बावूजद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का विधिवत विवेचन नहीं किया है तथा भागुबाई की वसीयत को सही मानते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दीवानी न्यायालय में वसीयत खारिज कराने के वाद के निरस्त हो जाने को आधार मानकर वाद खारिज किया है, जबकि ऐसे किसी सिविल वाद में वादीगण पक्षकार नहीं थे तथा सिविल वाद उनकी अनुपस्थिति में खारिज हुआ है अर्थात वसीयत के बिन्दु पर गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण को रेस्टोर कर विधि अनुसार विचारण करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि माननीय राजस्व मण्डल ने स्वर्गीय भागुबाई द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में की गयी वसीयत को सही मानते हुए नामान्तरकरण वसीयतग्रहिता के पक्ष में स्वीकृति किये जाने का आदे"ा दिनांक 01—09—2015 को दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त निर्णय का विस्तृत विवेचन किया है तथा दीवानी न्यायालय से वसीयत को खारिज कराने का वादीगण का वाद खारिज हो जाने के आधार पर उक्त वसीयत को दोबारा राजस्व न्यायालय में चैलेन्ज करने हेतु वादीगण को अधिकारी नहीं माना हैं एवं इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का आदे"ा 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया है,

जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16—09—2019 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

पन्नालाल पिता ऊंकारलाल डांगी, बनाम लोगरलाल पिता कूका डांगी,
निवासी
निवासी भाोभागपुरा, तह0 बड़गांव, मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा,
जिला
जिला उदयपुर व अन्य उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.......28/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड
अधिकारी.....
............गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............14................माह..............02......
......2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........16....माह........09......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी........श्री भाान्तिलाल पामेचा.........मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री संजय
बोहरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........16......माह.......09...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।